**भारतसरकार Government of India**
**रेलमंत्रालय Ministry of Railways**
**रेलवेबोर्ड(Railway Board)**

**RBA No. 24/2024**
**GST Circular No. 06/2024**

**No. 2017/AC-II/1/6/GST Main/Vol. IV** **New Delhi, dated 08.08.2024**

**General Managers,**
All Zonal Railway/Production Units

**Subject: Exemptions granted on Railway Transactions and regularization of such transactions for past period on 'as is where is basis'.**

**Ref:-** **1) Notification No. 04/2024-Central Tax (Rate) dtd.12th July2024**
**2) Notification No. 04/2024-Integrated Tax (Rate) dtd. 12th July 2024**
**3) Notification No. 04/2024-Union Territory Tax (Rate) dtd. 12th July 2024**
**4) Circular No.-228/22/2024-GST, dtd. 15th July 2024**
**5) Notification No. 13/2023 - Central Tax (Rate) dtd 19th October 2023**

******

Pursuant to the recommendations of 53rd GST Council meeting held on 22nd June 2024, CBIC has issued the above referred notifications/circular at S. No.1 to 4.

I. Following transactions are exempt from GST **with effect from 15.07.2024**:

1. Services by IR to **individuals** by way of:
   a. sale of platform tickets;
   b. facility of retiring rooms/waiting rooms;
   c. cloak room services;
   d. battery operated car services,

   No GST is to be paid for the **period 20.10.2023 to 14.07.2024** on a, b, c & d above **(Liability regularized on 'as is where is' basis)**.

2. **Any service** by one zone/division of IR to another zone(s) or division(s). No GST is to be paid for the **period 20.10.2023 to 14.07.2024 on above (Liability regularized on 'as is where is' basis).**

3. Services of transportation of goods (such as: railway material or equipment) from one zone/division of IR to same or another zone/division(s).

II. Following Services are taxable **with effect from 20.10.2023**:

1. Services of sale of platform tickets, facility of retiring rooms/waiting rooms, cloak room services, battery operated car services to a person other than individuals.

2. Services by IR to a non-business entity or business entity (even if the business entity is exempt from registration under the CGST Act, 2017).

3. Services by IR to another Central Government, State Government, Union territory or local authority.

4. Any service earlier exempt on account of consideration being less than Rs. 5,000 will be taxable unless otherwise exempt.

Kindly ensure compliance of these instructions in consultation with the Zonal GST consultants.

Signed by
Vipul Tripathi
Date: 08-08-2024 18:25:34

**(Vipul Tripathi)**
**Director/Accounts**
**Railway Board**
**Email ID: vipul.tripathi@gov.in**
**Ph No: 8920027770**

Copy to:

1. PFAs All Zonal Railways/Production Units
2. MD, CRIS, Chanakyapuri New Delhi
3. Director/Finance, Director/PS, Director/Operations, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi
4. GM/Finance and GSTM, GM/FOIS, GM/PRS, GM/EPS, GM/UTS, GM/Parcel, CRIS, NDLS

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

आरबीए सं. 24/2024
जीएसटी परिपत्र सं. 06/2024

सं. 2017/एसी-II/1/6/जीएसटी मेन/वॉल.IV

नई दिल्ली, दिनांक 08.08.2024

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।

विषय: रेलवे के लेन-देन पर प्रदान की गई छूट और पिछली अवधि के ऐसे लेन-देन को 'जैसा है जहां है' के आधार पर नियमित करना।

संदर्भ:
1) दिनांक 12 जुलाई, 2024 की अधिसूचना सं. 04/2024-सैंट्रल टैक्स (रेट)
2) दिनांक 12 जुलाई, 2024 की अधिसूचना सं. 04/2024- इंटिग्रेटेड टैक्स (रेट)
3) दिनांक 12 जुलाई, 2024 की अधिसूचना सं. 04/2024-यूनियन टैरिटरी टैक्स (रेट)
4) दिनांक 15 जुलाई, 2024 का परिपत्र सं. 228/22/2024-जीएसटी

22 जून, 2024 को आयोजित जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक की सिफारिशों के आधार पर, सीबीआईसी ने उपर्युक्त संदर्भित अधिसूचनाएं/परिपत्र क्रम सं. 1 से 4 पर जारी किए हैं।

I. 15.07.2024 से निम्नलिखित लेन-देन पर जीएसटी में छूट है:

1. भारतीय रेल द्वारा व्यक्तियों को निम्नलिखित माध्यम से दी जा रही सेवाएं :
   क. प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री;
   ख. विश्राम कक्षों/प्रतीक्षालयों की सुविधा;
   ग. अमानती सामानघर सेवाएं;
   घ. बैटरी चालित कार सेवाएं,

   उपर्युक्त क, ख, ग, एवं घ पर 20.10.2023 से 14.07.2024 तक की अवधि के लिए कोई जीएसटी नहीं देना होगा ('जैसा है जहां है' आधार पर विनियमित देयता)।

2. भारतीय रेल के एक क्षेत्र/मंडल द्वारा दूसरे क्षेत्र (क्षेत्रों) अथवा मंडल (मंडलों) को दी जाने वाली कोई भी सेवा। उपरोक्त पर 20.10.2023 से 14.07.2024 तक की अवधि के लिए कोई जीएसटी नहीं देना होगा ('जैसा है जहां है' के आधार पर विनियमित देयता)

3. भारतीय रेल के एक क्षेत्र/मंडल से उसी या अन्य क्षेत्र/मंडल (मंडलों) तक माल (जैसे: रेल सामग्री या उपस्कर) की ढुलाई की सेवाएं।

II. 20.10.2023 से निम्नलिखित सेवाएं कर योग्य हैं:

1. प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री की सेवाएं, विश्राम कक्ष/प्रतीक्षालयों की सुविधा, अमानती सामानघर सेवाएं, व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को बैटरी चालित कार सेवाएं।

2. भारतीय रेल द्वारा गैर-व्यावसायिक इकाई या व्यावसायिक इकाई को दी जाने वाली सेवाएं (भले ही व्यावसायिक इकाई को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकरण से छूट प्राप्त हो)।

3. भारतीय रेल द्वारा किसी अन्य केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण को दी जाने वाली सेवाएं।

4. 5,000 रुपये से कम होने के कारण पहले से छूट प्राप्त कोई भी सेवा कर योग्य होगी जब तक कि अन्यथा छूट न दी गई हो।

कृपया क्षेत्रीय जीएसटी परामर्शदाताओं के परामर्श से इन अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

(विपुल त्रिपाठी)
निदेशक/लेखा
रेलवे बोर्ड
ईमेल आईडी: vipul.tripathi@gov.in
दूरभाष नं. Ph No: 8920027770

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।
2. प्रबंध निदेशक, क्रिस, चाण्क्यपुरी, नई दिल्ली।
3. निदेशक/वित्त, निदेशक/पीएस, निदेशक/परिचालन, क्रिस, चाण्क्यपुरी, नई दिल्ली।
4. महाप्रबंधक/वित्त एवं जीएसटीएम, महाप्रबंधक/एफओआईएस, महाप्रबंधक/पीआरएस, महाप्रबंधक/ईपीएस, महाप्रबंधक/यूटीएस, महाप्रबंधक/पार्सल, क्रिस, नई दिल्ली।